

महामना मालवीय के शिक्षा-दर्शन में 'अभय' : बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का समकालीन विश्लेषण

सर्वेश तिवारी

शोधार्थी (शिक्षा), कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

Email - shritiwarig@gmail.com

शोध सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय (1861-1946) के शिक्षा-दर्शन में निहित उपनिषदीय जीवन-मूल्य 'अभय' (भयहीनता/निर्भीकता) की सैद्धांतिक नींव और उसके समकालीन व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक सर्वांगीण अनुशीलन प्रस्तुत करता है। इक्कीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज जहाँ एक ओर तीव्र आर्थिक संवृद्धि, तकनीकी प्रसार और महिला सहभागिता के नए शिखरों का साक्षी बन रहा है, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं और किशोरियों के समक्ष व्याप्त संरचनात्मक हिंसा, साइबर अपराध, सामाजिक असुरक्षा और अस्मिता का संकट उनके मानसिक स्वास्थ्य को भीतर से खोखला कर रहा है। आज की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था डिग्रियों और तकनीकी कौशल के वितरण में तो सफल दिखाई देती है, किंतु वह अंतर्मन को अभय, स्वावलंबन और आत्मसम्मान से परिपूर्ण करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक तथा विधिक दार्शनिक शोध प्रविधि का समन्वय करते हुए महामना द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 'महिला महाविद्यालय' के सांगठनिक ढांचे, उनके पत्रकारीय लेखन (अभ्युदय, मर्यादा, द लीडर) तथा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दी गई बहसों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। शोध यह प्रतिपादित करता है कि बाह्य विधिक व दंडात्मक उपाय तब तक निष्प्रभावी रहते हैं, जब तक कि व्यक्ति के भीतर नैतिक-मानसिक रक्षा कवच निर्मित न हो। महामना का 'अभय मॉडल' आत्म-बोध, चारित्रिक शुचिता, शारीरिक सामर्थ्य और सामाजिक संवाद का एक ऐसा चतुष्कोणीय ढांचा प्रस्तुत करता है, जो बालिकाओं में हीनभावना व अवसाद का शमन कर उन्हें मुखर और आत्मरक्षक बनाता है। अंत में, यह शोध समसामयिक शिक्षा नीति, संस्थागत परामर्श व्यवस्था और पारिवारिक ढांचे में 'अभय' आधारित जीवन-कौशल के समावेशन हेतु ठोस नीतिगत दिशा-निर्देश प्रस्तावित करता है।

संकेत शब्द : महामना मालवीय, शिक्षा-दर्शन, अभय (भयहीनता), बालिका मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, महिला सुरक्षा, समकालीन अपराध नियंत्रण, सहज संवाद।

1. प्रस्तावना एवं समस्या की पृष्ठभूमि

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संप्रभुता और सभ्यतागत परिपक्वता का मूल्यांकन केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, तकनीकी उपलब्धियों या सामरिक शक्ति के पैमानों से नहीं किया जा सकता। इसके मूल्यांकन की सबसे प्रामाणिक और संवेदनशील कसौटी यह है कि उस राष्ट्र की आधी आबादी, विशेषकर बालिकाएँ और युवतियाँ, समाज के खुले परिवेश में कितनी सुरक्षित, स्वायत्त और मानसिक रूप से स्वतंत्र अनुभव करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशकों से अधिक का समय बीत जाने और आधुनिकता के कई चरण पार कर लेने के बाद भी, वर्तमान भारतीय समाज एक गहरे और स्याह दोहरे अंतर्विरोध से जूझ रहा है। एक धरातल पर हम देखते हैं कि भारतीय बेटियाँ अंतरिक्ष विज्ञान,

सैन्य सेवाओं, चिकित्सा, उच्च शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्रों में अभूतपूर्व वैश्विक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत, दूसरे धरातल पर वे एक सतत, अदृश्य और सर्वव्यापी भय के साये में अपना दैनिक जीवन जीने को विवश हैं। यह भय केवल भौतिक या शारीरिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वपरक भी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अद्यतन आंकड़े इस भयावह वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर अपराधों की प्रकृति में लगातार जटिलता और क्रूरता आई है।

समकालीन समाज का यह संकट केवल सुनसान गलियों, सार्वजनिक परिवहन या कार्यस्थलों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। आज के तकनीकी युग में यह संकट मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए एक किशोरी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एकांत कक्ष तक पहुँच चुका है। साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक, ऑनलाइन मानहानि और ट्रोलिंग जैसे अपराधों ने एक ऐसे 'डिजिटल दुश्क्र' को जन्म दिया है, जिसने बालिकाओं के कोमल मानस पर बहुत गहरा और स्थायी आघात किया है। चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, यथा 'द लांसेट साइकियाट्री' एवं 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' अपने शोधों में निरंतर यह गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि भारतीय किशोरियों और युवतियों में गंभीर अवसाद, सामान्यीकृत चिंता-विकार और आत्म-हानि की प्रवृत्तियाँ अत्यंत खतरनाक गति से बढ़ रही हैं। जब हम इस विकराल मानसिक व्याधि की जड़ों की पड़ताल करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इसके लिए कोई जैविक या आनुवांशिक असंतुलन उतना उत्तरदायी नहीं है, जितना कि हमारे समाज द्वारा उत्पन्न किया गया 'संस्थागत और मनोवैज्ञानिक भय'। इस सर्वव्यापी सामाजिक भय के मुख्य रूप से तीन प्रत्यक्ष और मारक परिणाम बालिकाओं के व्यक्तित्व पर दृष्टिगोचर होते हैं:

- **असुरक्षा का स्थायी भाव :** बालिका हर नए परिवेश (नया विद्यालय, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान) में जाने से पहले अपनी भौतिक और डिजिटल सुरक्षा को लेकर सशंकित रहती है। यह स्थायी शंका उसकी स्वाभाविक प्रतिभा, रचनात्मकता और प्रकटीकरण को अवरुद्ध कर देती है।
- **आत्मसम्मान का क्रमिक क्षरण :** सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियाँ, पितृसत्तात्मक ढांचे और विकृत पुरुषवादी दृष्टिकोण किशोरी के अवचेतन मन में यह ग्रंथि गहराई तक बैठा देते हैं कि वह शारीरिक रूप से दुर्बल, दूसरों पर आश्रित और दोयम दर्जे की नागरिक है।
- **अभिव्यक्ति का संकोच और मानसिक घुटन :** अपने साथ होने वाले किसी भी अनुचित स्पर्श, अशोभनीय व्यवहार या डिजिटल बुलिंग के विरुद्ध तुरंत आवाज़ उठाने के स्थान पर, समाज के लांछन के डर से बालिकाएँ मौन साध लेती हैं। यही मौन और घुटन अंततः गंभीर मनोवैज्ञानिक अवसाद में परिणित होती है।

इस समकालीन और बहुआयामी संकट का जब हम गहरा अकादमिक विश्लेषण करते हैं, तो यह कड़वी सच्चाई सामने आती है कि हमारी आधुनिक और पश्चिमी मॉडल पर आधारित शिक्षा प्रणाली 'साक्षरता' और 'सूचना' तो दे रही है, किंतु 'संस्कार, आत्मबल और आंतरिक सुरक्षा' देने में वह बुरी तरह पिछड़ गई है। यह शिक्षा प्रणाली उपाधियाँ तो बाँट रही है, किंतु बालिकाओं के अंतःकरण को दृढ़ नहीं कर पा रही। ऐसी दिशाहीन और संकटग्रस्त स्थिति में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समग्र जीवन-दर्शन और उनका स्वदेशी शिक्षा-चिंतन एक युगांतरकारी विकल्प के रूप में उभरता है। मालवीय जी ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत में ही अपने दूरदर्शी चिंतन से यह समझ लिया था कि इस समाज की वास्तविक मुक्ति किसी राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन से नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति-विशेषकर नारी-के अंतर्मन से 'भय' के संपूर्ण और समूल निष्कासन से ही संभव है।

2. साहित्य-समीक्षा

किसी भी शोध की प्रामाणिकता और उसकी दिशा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उस विषय पर पूर्व में किए गए अध्ययनों का कितनी गहराई से अन्वेषण किया गया है। बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य, समकालीन

सुरक्षा परिदृश्य और महामना मालवीय के शिक्षा-दर्शन को केंद्र में रखकर पूर्व में संपन्न हुए शोधों और आलेखों का अवलोकन करने पर तीन प्रमुख वैचारिक धाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं। प्रस्तुत शोध इन तीनों धाराओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है-

• समकालीन मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य एवं साइबर चुनौतियां

प्रथम धारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के उन तकनीकी और नैदानिक अध्ययनों से संबंधित है, जो किशोरियों में बढ़ती मानसिक व्याधियों का परिमाणात्मक विश्लेषण करते हैं। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO, 2021) की रिपोर्ट, "Adolescent Mental Health: Status, Determinants and Policy Framework in South-East Asia", स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि विकासशील देशों में किशोरियों के समक्ष पहचान का संकट और सामाजिक अलगाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया है। इसी क्रम में 'द लांसेट साइकियाट्री' (The Lancet Psychiatry, 2020) द्वारा प्रकाशित विस्तृत अध्ययन, "The Burden of Mental Disorders Across the States of India", इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारतीय किशोरियों में चिंता, विकार और अवसाद का ग्राफ पिछले एक दशक में तेजी से ऊपर गया है। यद्यपि ये अध्ययन समस्या की व्यापकता का एकदम सटीक और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, किंतु इनमें एक बुनियादी कमी यह है कि ये अवसाद को केवल मस्तिष्क के रासायनिक असंतुलन के रूप में देखते हैं। इनके द्वारा सुझाए गए समाधान मुख्य रूप से चिकित्सा, दवाओं और औपचारिक थेरेपी तक सीमित रह जाते हैं। ये अध्ययन उस 'सामाजिक भय' और 'आंतरिक शून्यता' का समाधान प्रस्तुत नहीं करते, जो इस अवसाद का मूल कारण है।

• भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता और सुरक्षा का संकट

दूसरी धारा समाजशास्त्रीय और अपराध-शास्त्रीय अध्ययनों की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2022) के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि बाह्य सुरक्षा तंत्र और कड़े कानूनों के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध अपराध-विशेषकर साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और डीपफेक-नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। विनीता सक्सेना (2018) ने अपनी पुस्तक "भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता, सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य के आयाम" में अत्यंत प्रासंगिक तर्क प्रस्तुत किया है। वे लिखती हैं कि भारतीय समाज में स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर उसकी 'सामाजिक सुरक्षा' और 'अस्मिता' से जुड़ा है। जब समाज किशोरी को 'संरक्षण का पात्र' मानकर उसे हर समय डराता है, तो किशोरी के भीतर स्वाभाविक रूप से एक हीनभावना और असुरक्षा का भाव घर कर जाता है। बाह्य विधिक उपाय तब तक अधूरे हैं, जब तक कि स्त्री के भीतर आत्मरक्षा का विश्वास न हो।

• महामना का शिक्षा-दर्शन एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

तीसरी धारा विशुद्ध रूप से शैक्षिक और ऐतिहासिक अध्ययनों की है। सीताराम चतुर्वेदी (1972) की कृति "महामना पंडित मदन मोहन मालवीय : जीवन, दर्शन एवं कार्य" तथा अमरनाथ त्रिपाठी (1982) की "महामना मालवीय जी का शिक्षा-दर्शन" मालवीय जी के शैक्षिक अवदान पर अत्यंत प्रामाणिक प्रकाश डालती हैं। इन विद्वानों ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार मालवीय जी ने राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। राधेश्याम शर्मा (2001) ने भी मालवीय जी के कृतित्व का मूल्यांकन किया है।

➤ शोध अंतराल

उपरोक्त तीनों धाराओं की समीक्षा से एक स्पष्ट 'शोध अंतराल' उभरकर सामने आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान बालिकाओं के अवसाद को तो समझ रहा है, किंतु उसके पास कोई स्थायी दार्शनिक या जीवन-मूल्य आधारित समाधान नहीं है। दूसरी ओर, मालवीय जी पर हुए शोध उन्हें केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विश्वविद्यालय के संस्थापक या राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करते हैं। किसी भी पूर्व अध्ययन में मालवीय जी के उपनिषदीय 'अभय' (Fearlessness) के सिद्धांत को समकालीन आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान की 'Psychological Resilience' के समकक्ष रखकर विश्लेषित नहीं किया गया है। वर्तमान में साइबर अपराध और सामाजिक असुरक्षा के कारण बालिकाओं

में जो डिजिटल एंजायटी और आत्मसम्मान का क्षरण हो रहा है, उसके निवारण के लिए मालवीय जी का 'संस्थागत प्रतिमान' और 'सहज संवाद मॉडल' किस प्रकार एक 'एंटी-डिप्रेसेंट' और सुरक्षा कवच का कार्य कर सकता है, यही अछूता विषय प्रस्तुत शोध का मुख्य बिंदु है।

3. शोध के उद्देश्य

शोध के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. **तात्विक विश्लेषण** : महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के शिक्षा-दर्शन की जड़ों में निहित 'अभय' (भयहीनता) की उपनिषदीय अवधारणा का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म विश्लेषण करना।
2. **समकालीन संकट का मूल्यांकन** : इक्कीसवीं सदी के साइबर युग में बालिकाओं और किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर मंडराते डिजिटल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक खतरों का तथ्यात्मक मूल्यांकन करना।
3. **संस्थागत प्रतिमान का अध्ययन** : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत मालवीय जी द्वारा स्थापित 'महिला महाविद्यालय' (MMV) के भौतिक, शैक्षणिक और सांगठनिक ढांचे का इस दृष्टि से परीक्षण करना कि वह किस प्रकार छात्राओं के भीतर से असुरक्षा-बोध को समाप्त कर उन्हें आत्म-रक्षक बनाता था।
4. **तुलनात्मक मीमांसा** : आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों और मालवीय जी के 'अभय मॉडल' एवं 'सहज संवाद' के बीच तुलनात्मक अध्ययन कर यह सिद्ध करना कि मालवीय जी का मॉडल आधुनिक अपराध-निरोधक रणनीतियों में किस प्रकार प्रासंगिक है।
5. **नीतिगत दिशा-निर्देश** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान शिक्षण संस्थानों, परामर्श केंद्रों और पारिवारिक ढांचे के लिए 'अभय' आधारित एक व्यावहारिक एवं समकालीन कार्ययोजना प्रस्तावित करना।

4. शोध प्रविधि एवं स्रोत

विषय की दार्शनिक गहराई और उसके समकालीन व्यावहारिक अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत शोध में पूर्णतः गुणात्मक शोध प्रविधि का आश्रय लिया गया है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से दो पद्धतियों का समन्वय किया गया है :

ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति : मालवीय जी के शैक्षिक प्रतिमानों, उनके द्वारा स्थापित संस्थागत संरचनाओं और उनके पत्रकारिता जीवन के ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने हेतु इस पद्धति का उपयोग किया गया है।
विधिक-दार्शनिक पद्धति : उपनिषदीय दर्शन के 'अभय' तत्व और मालवीय जी द्वारा तत्कालीन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए गए विधिक तर्कों (यथा बाल विवाह निरोधक विधेयक पर बहस) के दार्शनिक मूल्यांकन हेतु यह पद्धति अपनाई गई है।

सामग्री संकलन के स्रोत

प्राथमिक स्रोत : मालवीय जी के स्वयं के विचार और उनके प्रत्यक्ष कार्य प्राथमिक स्रोत हैं। इसके अंतर्गत मालवीय जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' (1907-1920) और मासिक पत्रिका 'मर्यादा' के मूल संपादकीय लेखों, अंग्रेजी दैनिक 'द लीडर' (1909-1930) के आलेखों, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए उनके संस्थापक एवं दीक्षांत अभिभाषणों (1916-1936) का गहन संदर्भ लिया गया है।

द्वितीयक स्रोत : 'अभय' की मूल अवधारणा को समझने के लिए तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक आदि उपनिषदों के शांकरभाष्य का उपयोग किया गया है। समकालीन पृष्ठभूमि को पुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB - 2022) के नवीनतम आंकड़ों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और द लांसेट (The Lancet) के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जर्नल

आलेखों तथा सीताराम चतुर्वेदी, अमरनाथ त्रिपाठी व अन्य विद्वानों की पुस्तकों को द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

5. 'अभय' का दार्शनिक स्वरूप : उपनिषदीय ज्ञान परंपरा और महामना का समन्वय

महामना मदन मोहन मालवीय जी का संपूर्ण जीवन और उनका बौद्धिक विमर्श भारतीय संस्कृति के उन स्रोतों से अभिसिंचित था, जो मनुष्य को हीनता और दुर्बलता से निकालकर पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उनके संपूर्ण चिंतन और शैक्षिक दर्शन की रीढ़ वेदांत और उपनिषदों का शाश्वत संदेश था।

A. उपनिषदों में 'अभय' का तात्त्विक और मनोवैज्ञानिक अर्थ

उपनिषदीय वांग्मय में 'अभय' को केवल एक मानवीय गुण नहीं, बल्कि परब्रह्म का साक्षात् स्वरूप माना गया है। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल हाड़-मांस का भौतिक शरीर मानता है, तब तक उसके भीतर मृत्यु, लांछन और पराजय का भय बना रहता है। किंतु जब वह अपने आत्म-तत्त्व को पहचान लेता है, तो वह सर्वथा निर्भीक हो जाता है।

तैत्तिरीय उपनिषद् (2.7.1) में ऋषि इसी तात्त्विक मनोविज्ञान का उद्घोष करते हैं :

"यदा येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते।

अथ सोऽभयं गतो भवति ॥"

अर्थात् जब साधक उस अदृश्य, निराधार, अवर्णनीय आत्म-तत्त्व में बिना किसी संशय के अपनी स्थिति बना लेता है, तब वह परम अभय (भयहीनता) को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् (4.2.4) में महर्षि याज्ञवल्क्य जब राजा जनक को तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हैं, तो उसकी अंतिम परिणति ज्ञान के अहंकार में नहीं, बल्कि 'अभय' में होती है। वे कहते हैं-

"अभयं वै जनकं प्राप्तोऽसि" (हे जनक! तुमने अभय को प्राप्त कर लिया है)।

भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान में 'अभय' कोई नकारात्मक शब्द नहीं है (अर्थात् यह केवल 'भय की अनुपस्थिति' मात्र नहीं है), बल्कि यह एक परम विधायक, सकारात्मक और आत्म-जागृत मानसिक अवस्था है। इसका सीधा और व्यावहारिक अर्थ है : न किसी को अकारण भयभीत करना और न किसी से भयभीत होना।

B. महामना द्वारा 'अभय' का शैक्षिक एवं सामाजिक रूपांतरण

महामना मालवीय जी की सबसे बड़ी वैचारिक विजय यह थी कि उन्होंने इस विशुद्ध आध्यात्मिक और वेदान्तिक संकल्पना को समाज-सुधार और बालिकाओं की शिक्षा के धरातल पर अत्यंत सहजता से उतारा है। उनका स्पष्ट मानना था कि औपनिवेशिक दासता और सदियों से चली आ रही विकृत सामाजिक कुरीतियों ने भारतीय समाज के आत्मबल को पूरी तरह तोड़ दिया है, और इस पतन का शिकार देश की बालिकाएं और महिलाएँ हुई हैं। मालवीय जी ने तत्कालीन समाज को झकझोरते हुए स्पष्ट किया कि बालिका को 'अबला' कहना भारतीय शास्त्रों की मूल भावना के साथ विश्वासघात है। ऋग्वेद के सूक्तों से लेकर उपनिषदों की गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों तक, स्त्री सदैव ज्ञान, संवाद और अपार सामर्थ्य की प्रतीक रही है। मालवीय जी के शिक्षा-दर्शन में 'अभय' का यह अमूर्त विचार निम्नलिखित चार व्यावहारिक सोपानों में अभिव्यक्त होता है:

1. **आत्म-बोध** : बालिका को शिक्षा के माध्यम से यह स्पष्ट प्रतीति कराना कि उसका अस्तित्व केवल मांस-मज्जा का शरीर या बाह्य रूप-रंग मात्र नहीं है, बल्कि वह अनंत ऊर्जा, मेधा और चैतन्य की धारक है।
2. **नैतिक शुचिता** : चरित्र और निर्भीकता का गहरा संबंध है। जब आचरण में सत्य, निष्ठा और धर्म (कर्तव्य-बोध) होता है, तो व्यक्ति का मस्तक हर परिस्थिति में अपने आप ऊंचा रहता है। अनैतिकता और छल हमेशा छिपने की प्रवृत्ति और भय को जन्म देते हैं, जबकि सदाचार से स्वतः निर्भीकता उपजती है।
3. **बौद्धिक संप्रभुता** : रुढ़िवादिता, अंधविश्वासों और थोपी गई मान्यताओं के तार्किक खंडन की क्षमता का विकास करना। बालिका बिना किसी झिझक के समाज से प्रश्न कर सके और अपने जीवन के स्वतंत्र निर्णय ले सके।

4. **शारीरिक शौर्य** : अध्यात्म का अर्थ शारीरिक दुर्बलता नहीं है। मालवीय जी का मानना था कि बालिकाएं अपने शरीर को दुर्बल न समझें, बल्कि उसे नियमित व्यायाम, संयम और आत्मरक्षा के कौशल से सशक्त बनाएं।

6. संस्थागत प्रतिमान : काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय का सांगठनिक ढांचा

जब महामना मालवीय जी वर्ष 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, तब उनका ध्येय ईंट-पत्थर से केवल एक परंपरागत और पश्चिमी शैली का विश्वविद्यालय खड़ा करना नहीं था। वे दरअसल एक ऐसी 'सांस्कृतिक और वैज्ञानिक राजधानी' का निर्माण कर रहे थे, जहाँ प्राचीन भारतीय जीवन-मूल्यों का आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ सहज संगम हो सके। महिलाओं की पूर्ण बौद्धिक मुक्ति के इसी वृहद संकल्प के अंतर्गत वर्ष 1928-1929 में विश्वविद्यालय परिसर में 'महिला महाविद्यालय' की स्थापना की गई। महामना ने महिला महाविद्यालय को बालिकाओं के 'अभय' संवर्धन के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया। इसे निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है :

तालिका 1: महामना का संस्थागत सशक्तिकरण ढांचा

सुरक्षित आवासीय परिवेश	समन्वित पाठ्यचर्या	चारित्रिक एवं शारीरिक संबल
चारदीवारी का भयमुक्त वातावरण	आधुनिक विज्ञान (भौतिकी, रसायन आदि) + साहित्य	दैनिक प्रार्थना व आत्म-गौरव का बोध
सुदृढ़ और आत्मीय संरक्षक व्यवस्था	नैतिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विमर्श	अनिवार्य खेलकूद, व्यायाम एवं परेड

1) भौतिक संरचना में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का समावेश

तत्कालीन बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशक में रूढ़िवादी भारतीय समाज अपनी बहुओं और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर भेजने को तैयार नहीं था। अभिभावकों के मन में अपनी बालिकाओं की सुरक्षा और मर्यादा को लेकर गहरी और स्वाभाविक चिंताएँ थीं। मालवीय जी ने इस मनोवैज्ञानिक बाधा को समझा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देश भर के दानदाताओं, राजाओं और परिवारों से संवाद किया और महिला महाविद्यालय को इस प्रकार अभिकल्पित किया कि वह बाह्य खतरों और अवांछित तत्वों से सर्वथा सुरक्षित रहे, किंतु भीतर से छात्राओं के लिए किसी उन्मुक्त उपवन के समान हो। परिसर की सुदृढ़ आवासीय व्यवस्था ने छात्राओं के अवचेतन में एक 'सुरक्षित मनोवैज्ञानिक घेरा' निर्मित किया। वहाँ छात्राएँ बिना किसी पुरुषवादी संकोच के आपस में मुक्त संवाद कर सकती थीं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में तर्क गढ़ सकती थीं और बिना किसी सामाजिक पाबंदी या भय के अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का बहुआयामी विकास कर सकती थीं।

2) पाठ्यचर्या का स्वरूप : आधुनिकता और मूल्य-बोध का अद्वैत

मालवीय जी उस संकीर्ण औपनिवेशिक मानसिकता के घोर विरोधी थे, जो मानती थी कि महिलाओं को केवल सिलाई-कढ़ाई या घरेलू काम-काज सिखाने वाली शिक्षा ही दी जानी चाहिए। उन्होंने महिला महाविद्यालय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान और विधि जैसे गंभीर वैज्ञानिक और तार्किक विषयों के अध्ययन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके साथ ही, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, वेद-उपनिषद् और दर्शन के अध्ययन को भी अनिवार्य सा बनाया। इस अत्यंत उन्नत और समन्वित पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्रा जब विश्वविद्यालय से बाहर निकले, तो वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी की कसौटी पर दुनिया में किसी से

पीछे न रहे और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों एवं नैतिक मर्यादा के कारण उसका अंतःकरण इतना सशक्त हो कि दुनिया का कोई भी प्रलोभन या भय उसे अस्थिर न कर सके।

3) शारीरिक संवर्धन एवं आत्मरक्षा की चेतना

महामना कभी भी दुर्बल शरीर में निर्भीक आत्मा के वास की कल्पना नहीं करते थे। वे स्वयं आजीवन नियमित व्यायाम, अखाड़े के कड़े नियमों और प्राणायाम के घोर समर्थक रहे। उन्होंने इसी दिनचर्या को महिला महाविद्यालय में भी लागू किया। उन्होंने छात्राओं के लिए शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और नियमित परेड को प्रोत्साहित किया। छात्राओं के भीतर से शारीरिक कमजोरी के भाव को नष्ट करना और उनमें यह विश्वास जगाना कि उनका शरीर दुर्बल या असहाय नहीं है, यही 'अभय' के सिद्धांत का सबसे बड़ा संस्थागत और व्यावहारिक क्रियान्वयन था।

7. पत्रकारीय विमर्श, संसदीय संघर्ष एवं विधिक उपादेयता

महामना मदन मोहन मालवीय जी केवल शिक्षण संस्थानों के स्वप्नदृष्टा या निर्माता मात्र नहीं थे; वे अपने समय के एक अत्यंत प्रखर संपादक, निर्भीक पत्रकार और अद्वितीय संसदीय कौशल वाले सांसद भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और महिलाओं के विरुद्ध जारी सामाजिक रुढ़ियों पर अपने ओजस्वी लेखन और संसदीय वक्तव्यों से जो करारे आघात किए, वे आज भी समाजशास्त्र और विधि के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य हैं।

(A) 'अभ्युदय' और 'मर्यादा' के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

वर्ष 1907 में प्रयागराज से प्रारंभ हुआ उनका साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' केवल राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन का ही मुखपत्र नहीं था, बल्कि वह सामाजिक नवजागरण और स्त्री-विमर्श का भी एक सशक्त मंच बना। मालवीय जी ने अपने संपादकीय लेखों में भारतीय समाज की रुढ़ियों पर निरंतर प्रहार करते हुए लिखा।

(B) पर्दा प्रथा का विरोध : मालवीय जी पर्दा प्रथा को एक घोर सामाजिक अभिशाप मानते थे। उनका स्पष्ट तर्क था कि पर्दा नारी की मर्यादा की रक्षा नहीं करता, बल्कि वह उसे समाज से काटकर अज्ञान और सतत भय के अंधकार में धकेलता है। उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक और शास्त्रीय साक्ष्यों से यह सिद्ध किया कि प्राचीन और वैदिक भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का कोई स्थान नहीं था।

(C) बाल विवाह का खंडन : कम उम्र में कन्याओं के विवाह को उन्होंने एक गंभीर 'राष्ट्रीय अपराध' माना। उन्होंने 'अभ्युदय' में अत्यंत पीड़ा के साथ लिखा कि जो कौम अपनी बारह-तेरह वर्ष की अबोध बालिकाओं पर असमय ही गृहस्थी और मातृत्व का भारी बोझ डाल देती है, वह कौम शारीरिक और मानसिक रूप से कभी बलवान नहीं हो सकती। इसी क्रम में, वर्ष 1910 में प्रकाशित मासिक पत्रिका 'मर्यादा' में मालवीय जी ने नारी-शिक्षा के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को अत्यंत मुखरता से प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य स्त्री को पुरुषों की अंधी अनुकृति बनाना नहीं है, बल्कि उसके भीतर के स्वतंत्र, प्रबुद्ध और निर्भीक व्यक्तित्व को जागृत करना है।

(D) 'द लीडर' और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 'शारदा एक्ट' की ऐतिहासिक लड़ाई

अंग्रेजी दैनिक 'द लीडर' (जिसकी स्थापना उन्होंने 1909 में की थी) के माध्यम से मालवीय जी ने ब्रिटिश शासन की शोषक नीतियों की तीखी आलोचना की और साथ ही सामाजिक सुधारों के लिए एक मजबूत विधिक संरचना के निर्माण की पुरजोर वकालत की। मालवीय जी के विधिक संघर्ष का सबसे स्वर्णिम अध्याय तब सामने आया जब हरविलास शारदा ने वर्ष 1927 में 'बाल विवाह निरोधक विधेयक' (जिसे शारदा एक्ट कहा गया और जो 1929 में पारित हुआ) तत्कालीन केंद्रीय असेंबली (इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल) में प्रस्तुत किया। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के कट्टरपंथी तबकों ने इस विधेयक का भारी विरोध किया और तर्क दिया कि यह उनके धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। उस ऐतिहासिक अवसर पर महामना मालवीय जी ने संसद के भीतर खड़े होकर जो तर्क दिए, वे शास्त्रीय पांडित्य और आधुनिक विधिक न्यायशास्त्र का अद्भुत संगम थे। उन्होंने मनुस्मृति, पराशर स्मृति और

विभिन्न गृहयसूत्रों के श्लोकों को उद्धृत करते हुए सप्रमाण सिद्ध किया कि हिंदू धर्म किसी भी सूरत में अबोध कन्याओं के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की अनुमति नहीं देता। उन्होंने सदन में उद्घोष किया "यदि किसी सामाजिक प्रथा से राष्ट्र की भावी पीढ़ी दुर्बल, रोगग्रस्त और भयभीत होती हो, तो उस प्रथा को धर्म का नाम देना धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। बालिकाओं के जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।"

मालवीय जी का यह दृढ़ विधिक हस्तक्षेप कोई सामान्य घटना नहीं थी; यह समकालीन युग में बाल-संरक्षण के लिए बनाए गए 'पॉक्सो अधिनियम' (POCSO Act, 2012) और 'बाल विवाह निषेध संशोधनों' के लिए एक ऐतिहासिक और मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह है, जो सिद्ध करता है कि कानून का उद्देश्य समाज को 'अभय' प्रदान करना है।

8. समकालीन विमर्श : बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान एवं सुरक्षा का संकट

वर्तमान भारतीय समाज एक अत्यंत तीव्र और जटिल संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे पास कानूनी अधिकारों और महिला कल्याणकारी योजनाओं का जाल फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धरातल पर असुरक्षा की खाई पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई है। शोध को विश्लेषणात्मक स्वरूप देने हेतु समकालीन बालिकाओं के जीवन-संकट और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को निम्नलिखित तालिका में वर्गीकृत किया गया है :

तालिका 2: समकालीन बालिका जीवन संकट एवं उनके मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रभाव

संकट का प्रमुख क्षेत्र	मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभाव
1. साइबर एवं आभासी हिंसा (डीपफेक व ब्लैकमेलिंग का निरंतर आतंक)	• डिजिटल एंजायटी एवं स्लीप डिसऑर्डर
2. दैहिक-सौंदर्य के कृत्रिम मानक (सोशल मीडिया द्वारा थोपे गए मापदंड)	• गहरी हीनभावना एवं ईटिंग डिसऑर्डर
3. सामाजिक अपराध एवं लांछन ('विक्टिम ब्लेमिंग' की कुप्रथा)	• सामाजिक अलगाव, संवादहीनता एवं 'पीड़ित' होने का डर
4. यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार (सार्वजनिक व निजी स्थानों पर)	• अपराध की शिकायत न कर पाना एवं गहरी आंतरिक घुटन सहना
5. शैक्षणिक व करियर का असीमित दबाव	• असफलता का भय, पहचान का संकट एवं क्लिनिकल अवसाद

➤ आंतरिक बनाम बाह्य सुरक्षा का द्वंद्व

समकालीन समाज अपनी बालिकाओं की सुरक्षा की समस्या को मुख्य रूप से केवल 'कानून-व्यवस्था' की समस्या मानकर चलता है। आधुनिक राज्य और संस्थाओं का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित रहता है कि हर चौराहे और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों के लिए कड़े से कड़े कानून (जैसे फांसी या उम्रकैद) बनाए जाएं। निःसंदेह, तात्कालिक रोकथाम के लिए ये बाह्य उपाय नितांत आवश्यक हैं; किंतु अपराध विज्ञान और समाजशास्त्र का यह एक अकाट्य स्थापित नियम है कि कोई भी 'बाह्य नियंत्रण' तब तक अपराध को जड़ से नहीं रोक सकता, जब तक कि समाज के व्यक्तियों के आंतरिक मूल्य और सामाजिक नैतिकता जागृत न हो। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि जब तक कोई बालिका स्वयं भीतर से निर्भय और सशक्त नहीं होगी, तब तक वह सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी के बावजूद अपने अंतर्मन में सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। अभय बाहर से नहीं ओढ़ाया जा सकता, उसे भीतर से जागृत करना पड़ता है।

➤ आत्मसम्मान का क्षरण और अवसाद का संबंध

आधुनिक नैदानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि किशोरियों में मानसिक रोगों और अवसाद के ग्राफ के बढ़ने का सीधा संबंध उनके आत्मसम्मान में आने वाली तीव्र गिरावट से है। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने स्त्री-सौंदर्य को केवल शारीरिक बनावट, त्वचा के रंग और बाह्य आकर्षण की संकीर्ण सीमाओं तक सीमित कर दिया है। डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों (प्लेटफॉर्म) पर 'लाइक्स', 'शेयर' और 'कमेंट्स' के आधार पर अपनी योग्यता और सुंदरता तय करने की इस घातक प्रवृत्ति ने किशोरियों को निरंतर तनाव और होड़ की स्थिति में डाल दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, जब किसी बालिका या किशोरी का आत्मसम्मान उसकी अपनी आंतरिक योग्यता के बजाय समाज की 'बाह्य प्रशंसा' पर निर्भर हो जाता है, तो वह अत्यंत संवेदनशील और भयभीत रहने लगती है। उस स्थिति में सोशल मीडिया पर की गई ज़रा सी भी नकारात्मक टिप्पणी उसे गहरे अवसाद और आत्म-संशय में धकेल देती है। इसी ग्रंथि को तोड़ने के लिए मालवीय जी का 'आत्म-बोध' का सिद्धांत प्रासंगिक हो उठता है, जो बाहरी टिप्पणियों के बजाय आंतरिक शुचिता से आत्मसम्मान का निर्माण करता है।

9. मालवीय जी का 'अभय मॉडल' बनाम आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण : एक तुलनात्मक मीमांसा

महामना के शिक्षा-दर्शन को यदि आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों के साथ रखकर देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उनका 'अभय मॉडल' एक अत्यंत वैज्ञानिक, व्यावहारिक और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जहां आधुनिक मनोविज्ञान केवल लक्षणों का उपचार करता है, वहीं मालवीय जी का दर्शन उस रोग की जड़ (असुरक्षा बोध) को ही समाप्त कर देता है। इसे निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका से समझा जा सकता है:

तालिका 3: आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और मालवीय जी के 'अभय मॉडल' का तुलनात्मक विश्लेषण

तुलनात्मक आयाम	आधुनिक नैदानिक/मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण	महामना का 'अभय मॉडल'	दोनों के समन्वय का समकालीन प्रभाव
समस्या का निदान	अवसाद/चिंता को मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन मानकर दवाओं या थेरेपी पर निर्भर रहना।	समस्या का मूल कारण आत्म-विस्मृति, उद्देश्यहीनता और आंतरिक शक्ति के हास को मानना।	केवल रासायनिक नहीं, बल्कि वैचारिक और अस्तित्वपरक स्थायी समाधान।
सुरक्षा की अवधारणा	सुरक्षा को बाह्य कारकों का विषय मानना; बालिका को 'संरक्षण का पात्र' समझना।	सुरक्षा को आंतरिक सामर्थ्य का प्रकटीकरण मानना।	बालिका पीड़ित मानसिकता से निकलकर स्वयं अपनी रक्षक बनती है।
आत्मसम्मान का स्रोत	बाह्य उपलब्धियाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक सफलता और दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति।	आत्म-बोध, नैतिक शुचिता और स्वदेशी जीवन-मूल्यों पर आधारित स्वाभिमान।	बाह्य आलोचनाओं या असफलताओं से अप्रभावित सुदृढ़ मानसिक लचीलापन।
संवाद का स्वरूप	अत्यंत औपचारिक एवं व्यावसायिक काउंसलिंग, जहाँ पेशेवर दूरी बनी रहती है।	'सहज संवाद' गुरु-शिष्य और पारिवारिक-आत्मीयता आधारित विमर्श।	बालिका बिना हिचक के अपनी अंतर्वेदना साझा करती है; प्राथमिक स्तर पर ही संकट का निवारण।

■ 'सहज संवाद' और भय का विसर्जन

मालवीय जी के संपूर्ण जीवन और उनके शैक्षिक नवाचारों की सबसे बड़ी विशेषता उनका 'सहज संवाद' था। वे जब किसी से मिलते थे, चाहे वह कोई रियासत का राजा हो, निर्धन किसान हो या विश्वविद्यालय का कोई साधारण छात्र वे उसके साथ संपूर्ण आत्मीयता से जुड़ते थे। किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और मार्गदर्शन में सबसे बड़ी बाधा 'संवादहीनता' या 'कपटपूर्ण संवाद' है। घर में पिता से डर, विद्यालय में शिक्षक से डर और समाज में बंधु-बंधवों से संकोच यह सर्वव्यापी भय बालिका के भीतर विचारों का एक बंद कुआं बना देता है। मालवीय जी का प्रतिमान यह सिखाता है कि शिक्षण संस्थाओं का वातावरण इतना सहज, पारदर्शी और वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए कि किशोरी अपनी सबसे बड़ी दुविधा, अपने साथ हुई कोई अप्रिय घटना या अपनी मनोवैज्ञानिक पीड़ा को बिना किसी भय के साझा कर सके। जब शिक्षक और शिष्य के मध्य संवाद सहज होता है, तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।

■ अपराध-निरोधक रणनीति में 'अभय' का क्रियान्वयन

अपराधी तत्व प्रायः उसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं जिसके शरीर की भाषा और व्यवहार में संकोच, भय और दुर्बलता झलकती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह सिद्ध हुआ है कि निर्भीक दृष्टि, दृढ़ पदचाप और स्पष्ट स्वर वाले व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ या दुर्यवहार करने में अपराधी हिचकिचाते हैं। महामना का 'अभय' दर्शन बालिका को केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, वह उसकी देह-भाषा और चेतना को निर्भीक बनाता है। वह किसी भी अनुचित स्पर्श या अशोभनीय व्यवहार पर सहमने या अपराधबोध से ग्रस्त होने के स्थान पर तुरंत, स्पष्ट और मुखर विरोध करने का आत्मबल देती है। बालिकाओं की यह मुखरता और निर्भीकता ही किसी भी बड़े अपराध का प्राथमिक स्तर पर ही दमन कर देती है।

10. नीतिगत निहितार्थ एवं व्यावहारिक कार्ययोजना (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में)

महामना के इस पावन और अत्यंत वैज्ञानिक शिक्षा-दर्शन को यदि हम समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और वर्तमान संस्थागत ढांचे के साथ समन्वित करना चाहते हैं, तो हमें निम्नलिखित पांच-सूत्रीय कार्ययोजना पर युद्धस्तर पर काम करना होगा :

- 1) **पाठ्यचर्या का पुनर्गठन (भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश) :** प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पाठ्यचर्या में उपनिषदों, गीता और भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं (रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर आदि) के जीवन-प्रसंगों को केवल इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि 'मानसिक संबल और निर्भीकता' के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाए। 'चरित्र निर्माण' को किसी औपचारिक विषय की तरह नहीं, बल्कि दैनिक प्रार्थना और सामूहिक विमर्श के माध्यम से लागू किया जाए।
- 2) **अनिवार्य आत्मरक्षा एवं योग-प्रशिक्षण :** प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में बालिकाओं के लिए योग, प्राणायाम और आत्मरक्षा (मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, लाठी-प्रशिक्षण) को खेलकूद के अनिवार्य हिस्से के रूप में लागू किया जाए। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अवचेतन में यह विश्वास बैठाना है कि उनका शरीर विपरीत परिस्थिति में अपनी रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है।
- 3) **'सहज संवाद' आधारित परामर्श केंद्रों की स्थापना :** शैक्षणिक संस्थानों में कागजों पर चलने वाले औपचारिक काउंसलिंग सेल के स्थान पर मालवीय जी के आदर्शों के अनुरूप सक्रिय 'अभय केंद्र' स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो जो छात्राओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुन सकें, जहाँ परामर्श कोई 'रोग का उपचार' नहीं, बल्कि 'व्यक्तित्व का परिष्कार' हो।
- 4) **डिजिटल अभय एवं साइबर साक्षरता :** बालिकाओं को तकनीकी रूप से इतना साक्षर बनाया जाए कि वे साइबर दुनिया के खतरों (फिशिंग, डीपफेक) को पहचान सकें। उन्हें स्पष्ट रूप से सिखाया जाए कि डिजिटल

अपराध होने पर ग्लानि में जीने की आवश्यकता नहीं है, और वे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (1930) जैसे तंत्रों का निर्भय होकर उपयोग करें।

- 5) **पारिवारिक पुनर्जागरण व समरसता** : परिवार राष्ट्र की मूलभूत इकाई है। केवल बालिकाओं को सुरक्षा के उपाय सिखाना अधूरा समाधान है। समाज के बालकों को बचपन से ही स्त्रियों के प्रति पवित्र, आदरपूर्ण और समतावादी दृष्टिकोण का संस्कार दिया जाना चाहिए। बेटों को यह सिखाना अनिवार्य हो कि पुरुषार्थ दुर्बलों की रक्षा करने और नारी की अस्मिता का आदर करने में है।

मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब कोई समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटकर केवल बाह्य चकाचौंध के पीछे भागता है, तब-तब वह गहरे आंतरिक संकटों और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। आज का भारतीय समाज भी इसी दौरा पर खड़ा है। एक ओर हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक, गगनचुंबी इमारतें और विस्तृत कानूनी संहिताएँ हैं; किंतु दूसरी ओर हमारी बेटियाँ एक गहरे मानसिक अवसाद और असुरक्षा के अंधेरे से जूझ रही हैं।

भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा-दर्शन इस अंधेरे को चीरने वाली एक दैदीप्यमान मशाल है। उनका 'अभय' का सिद्धांत कोई पुराना या कालबाध्य विचार नहीं है; यह इक्कीसवीं सदी के साइबर युग का सबसे प्रासंगिक, आधुनिक और वैज्ञानिक समाधान है। मालवीय जी ने हमें यह सिखाया कि जब तक एक राष्ट्र अपनी कन्याओं के अंतःकरण से भय के सूक्ष्म अंश को भी समाप्त नहीं कर देता, तब तक उसका कोई भी विकास वास्तविक नहीं कहा जा सकता। भय ही समस्त विकृतियों, शोषण और अवसाद की जननी है और 'अभय' ही समस्त शक्तियों, आत्मसम्मान और मानसिक कल्याण का उद्गम है। समय आ गया है कि हम महामना के इस पावन शिक्षा-दर्शन को केवल वार्षिक स्मृति-समारोहों या दीक्षांत भाषणों तक सीमित रखने के स्थान पर अपनी नीतियों, पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक परिसरों और परिवारों की जीवन-पद्धति में गहराई से आत्मसात करें। जब हमारी बेटियाँ ज्ञान से प्रबुद्ध, चरित्र से पवित्र, शरीर से समर्थ और अंतर्मन से पूर्णतः 'अभय' होंगी, तभी भारत अपनी वास्तविक ज्ञान-संपदा और नैतिक नेतृत्व के साथ विश्व-पटल पर 'विश्वगुरु' के अपने पुरातन गौरव को पुनः स्थापित कर सकेगा। यही महामना मालवीय जी के पुण्य चरणों में हमारी सर्वश्रेष्ठ कार्यजलि होगी।

सन्दर्भ :

1. World Health Organization (WHO). (2021). Adolescent Mental Health: Status, Determinants and Policy Framework in South-East Asia. Geneva: WHO Regional Office.
2. The Lancet Psychiatry. (2020). The Burden of Mental Disorders Across the States of India: The Global Burden of Disease Study 1990–2017. Lancet Publishing Group.
3. National Crime Records Bureau (NCRB). (2022). Crime in India Statistics (Volume 1: Crimes against Women and Children). New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India.
4. सक्सेना, विनीता. (2018). भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता, सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य के आयाम. नई दिल्ली: सामयिक प्रकाशन.
5. चतुर्वेदी, सीताराम. (1972). महामना पंडित मदन मोहन मालवीय: जीवन, दर्शन एवं कार्य. नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT), भारत सरकार.
6. त्रिपाठी, अमरनाथ. (1982). महामना मालवीय जी का शिक्षा-दर्शन: आधुनिक भारत के निर्माण में भूमिका. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
7. शर्मा, राधेश्याम. (2001). महामना मालवीय: व्यक्तित्व, कृतित्व एवं विचार. नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार.
8. मालवीय, पं. मदन मोहन. (1907-1920). अभ्युदय के संपादकीय लेख एवं अग्रलेख, मालवीय जी जन्मशती ग्रंथमाला. वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभिलेखागार.

9. मालवीय, पं. मदन मोहन. (1909-1930). द लीडर (The Leader) के चयनित संपादकीय. कोलकाता: नेशनल लाइब्रेरी आर्काइव्स.
10. मालवीय, पं. मदन मोहन. (1910-1915). मर्यादा (मासिक पत्रिका) के आलेख संग्रह. वाराणसी: नागरी प्रचारिणी सभा.
11. मालवीय, पं. मदन मोहन. (1936). काशी हिंदू विश्वविद्यालय: संस्थापक एवं दीक्षांत अभिभाषण (1916-1936). वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रेस.
12. उपनिषद्-संग्रह (ईश, केन, कठ, मुण्डक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वतर उपनिषद्-शांकरभाष्य सहित). (2015). गोरखपुर: गीता प्रेस.
13. पाण्डेय, रामेश्वर. (2012). काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतिहास एवं महामना की दृष्टि. वाराणसी: बीएचयू प्रेस.
14. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-2020). नई दिल्ली.